समयबद्ध

संख्या–1/3/98–का–प्रसको/2009

प्रेषक,

अतुल कुमार गुप्ता
मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव,
   उत्तर प्रदेश शासन।
2. समस्त विभागाध्यक्ष,
   उत्तर प्रदेश।

कार्मिक विभाग–प्रशिक्षण समन्वय प्रकोष्ठ लखनऊः दिनांकः 20 जुलाई, 2009

विषयः–विभागीय कर्मचारियों द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय तीर्थ यात्राओं जैसे हज, उमरा आदि के लिए बनवाये जाने वाले पासपोर्ट हेतु 'अनापत्ति प्रमाण पत्र' निर्गत कराये जाने के संबंध में।

महोदय,

हज, उमरा एवं अन्य अन्तर्राष्ट्रीय तीर्थ यात्राओं के लिए आवेदन पत्र प्रस्तुत करने पर पासपोर्ट की बाध्यता होती है। पासपोर्ट हेतु आवेदन करने के लिए संबंधित विभागों का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना पड़ता है और इसमें पर्याप्त समय लग जाता है। इससे जहां एक ओर जन सामान्य में शासन की छवि धूमिल होती है, वहीं दूसरी ओर तीर्थ यात्रियों को पासपोर्ट समय से न मिलने के कारण कठिनाइयों का सामना भी करना पड़ता है।

2. अतः इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि विभागीय कर्मचारियों द्वारा हज, उमरा एवं अन्य तीर्थ यात्राओं हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत करने के 15 दिन के भीतर निर्धारित मापदण्डों पर परीक्षणोपरान्त 'अनापत्ति प्रमाण पत्र' निर्गत करा दिया जाय। इस संबंध में यदि कोई आपत्ति हो तो निर्धारित समय सीमा के भीतर आवेदक को सूचित कर दिया जाय। वर्तमान समय में हज वर्ष 2009 के लिए तीर्थ यात्रियों द्वारा पासपोर्ट के आवेदन पत्र प्रस्तुत किये जा रहे हैं। अतः पासपोर्ट की अनापत्ति हेतु प्राप्त प्रार्थना पत्रों का उक्त निर्धारित समय सीमा के भीतर निस्तारण सुनिश्चित कराया जाय।

3. कृपया उपर्युक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(अतुल कुमार गुप्ता)
मुख्य सचिव